	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की त... में जारी
11-06-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 25-06-2024 को पेश हो।	
25-06-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित हमने पूर्व पेशी पर वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हमारे मत में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~[illegible]~~ दफ्तर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 30/2015

दायरा दिनांक 19.06.2015

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

चतुर्भुज आ0 छीतरलाल जाति खाति निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–वादीनी

बनाम

1. रमेश आ0 गोबरीलाल जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बूंदी राजस्थान।
3. उपपंजीयक अधिकारी कार्यालय तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–प्रतिवादीगण

वाद – खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,92 आ0टी0एक्ट
वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0

अधिवक्ताः– 1. श्री सुरेश कुमार वर्मा (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 4(अनुपस्थित)

निर्णय दिनांकः–25.06.2024

वादीनी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 तक वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की खेवट खतौनी सं नई 688 पुरानी 677 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2013 रकबा 1.45 हैक्टर स्थित है जिस पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं 1 रमेश आ0 गोबरी लाल जाति माली बतौर गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 वाद पत्र का एक भाग है। उक्त वाद विषयक आराजी पर उबड़–खाबड़ व अंग्रेजी बबूल उगे हाने से व वादी विषयक आराजी के पास ही सिवायचक कृषि भूमि वादी के कब्जे काश्त में रहने से प्रतिवादी सं 1 ने आज से करीब 15वर्ष पूर्व वादी विषयक आराजी को वादी को बैचान कर रूबरू गवाहान वादी को कब्जा दिया गया था उसके पश्चात् वादी ने करीब 500000रु लगाकर वाद विषयक आराजी को समतल करवाकर कृषि योग्य बनाया गया था। प्रतिवादी सं 1 का गत 15 वर्षों तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा व न ही वर्तमान में है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वादी नियमित रूप से उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहकर कृषि लाभ प्राप्त कर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप वादी ने गत कृषि वर्षा 2067 से 2070 तक में खरीफ की फसल बाई गई एवं काटी गई। प्रतिवादी सं 1 का गत 15 वर्षों से कब्जा काश्त नहीं रहने से खातेदार अधिकार राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) व भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 27 के आज्ञापक प्रावधानों के तहत पूर्णतया समाप्त हो चुके है। प्रतिवादी संख्या 1 कदयान्तिपूर्वक वाद विषयक आराजी को गैर खातेदारी सी खातेदारी में दर्ज करवाकार वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं 1 दिनांक 17.08.2015 को कब्जा करने के इरादे से आया और कब्जा करने नाजायज प्रयास किया लेकिन वादी ने दीगर लोगो की मदद से बमुश्किल रोका अन्यथा प्रतिवादी सं 1 कब्जा करने में सफल हो जाता लेकिन फिर भी वादी को धमकी दी गई कि वह जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर वादी विषयक आराजी पर कब्जा करेगा और खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेगा। प्रतिवादी सं 1 का 15 वर्षों से कब्जा नहीं होने से कब्जा लेने की मियाद पूर्णतया कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी है। अन्त वादी द्वारा निवेदन किया गया वाद विषयक आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी सं 1 का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादी सं 1 व 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में साक्ष्यवादी करवाये गये। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070, प्रदश–2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2067 दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। गवाह पीडब्लू 2 इद्दा आ0 गफूर जाति मुसलमान निवासी बडाखेडा, पीडब्लू 3 धर्मराज उर्फ रामकैलाश जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ के साक्ष्य शपथ पत्र किए। वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर करने से पत्रावली बहस में नियत की गई। पत्रावली पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं का दोहराव करते हुए कथन किया कि वाद विषयक आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी सं 1 का नाम विलोपित किया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RLW2008(1),RJ Page no. 479, DNJ(Raj),2000-01(Suppl) Page no. 245 पेश किए। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमने विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस को धयानपूर्वक सुना व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों पर मनन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में प्रतिवादी रमेशचन्द आ0 गोबरीलाल जाती माली खसरा संख्या 2013 रकबा 1.45हैक्टर पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, खसरा गिरदावरी सम्वत 2067 में भी खसरा संख्या 2013 रकबा 1.45है0 कृषि भूमि पर खरीफ की फसल में सोयाबीन व रबी की फसलमें गेंहू बोया गया है जिसमें प्रतिवादी रमेशचन्द आ0 गोबरीलाल का नाम अंकित है। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सं 1 द्वारा 15वर्ष पूर्व वादी विषयक आराजी को वादी को बैचान करना अवगत करवाया गया है जिसको कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वाद विषयक भूमि का बैचान वादी के पक्ष में कर दिया गया हो। वादी वाद विषयक भूमि पर अपना स्वामित्व व 15 वर्ष से कब्जे संबंध में पुख्ता दस्तावेज पेश करने असफल रहा है। वादी अधिवक्ता द्वारा केवल अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान के साक्ष्य शपथ पत्र किए गए है। प्रतिवादी संख्या 1 रमेश आ0 गोबरी लाल जाति माली वाद विषयक आराजी पर गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। हमारे मतानुसार वादी को वाद विषयक आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादी सं 1 का नाम विलोपित किया जाना उचित नहीं है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1:अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....लाखेरी.....
व इजलास.....श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस).....

चतुर्भुज आ0 छीतरलाल जाति खाति निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
—वादी

बनाम

1. रमेश आ0 गोबरीलाल जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बूंदी राजस्थान।
3. उपपंजीयक अधिकारी कार्यालय तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89,92क आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 30/दावा/2015 सन् .....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....हमारे.....व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री सुरेश वर्मा .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि—

वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 06 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1 स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3 महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4 खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5 फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6 बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7 मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।